

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) **खीवासर**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान
कोडुराम बनाम राजस्वाम सरकार

दावा बाबत 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 81 / 2022

निर्णय दिनांक :- 23-05-2022

वादी की ओर से **खर्चा** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **23-05-22** को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

यथा वादी स्वीकार किया जाकर सोही जगह खीवासर जमाबंदी के खाता सं. 67 खसरा सं. 254, 718/255, 720/279 में अंकित कोडुराम, मिश्रराम पुत्र सांवला एवं परमेश्वरी पत्नी सांवला के स्वाम्य पर कोडुराम, मिश्रराम पुत्र सांवलराम नाम डुरस्त करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरु उस्तादुद्दार, राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो दरपद करे। प्रविष्य में नाम डुरस्ता के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में पूर्व ग्राह ही मान्य होगा तथा कोई तद्वय दुपार्य धान की स्थिति में समस्त विमोडरे वादी की हैसियत में

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **23-05-22** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च **उपखण्ड अधिकारी**

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

